

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 23.12.2025

अवैध तमंचा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में ३०नि० रवि राजन मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रिन्स साहनी पुत्र गणेश साहनी निवासी ग्राम कुशहरा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को ०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० ८२३/२०२५ धारा ९/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रिन्स साहनी पुत्र गणेश साहनी निवासी ग्राम कुशहरा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० ८२३/२०२५ धारा ९/२५ आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर

गिरफ्तारी की टीम-

१. उ०नि० रवि राजन कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
२. कां० विवेक यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
३. का० अमरजीत यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
४. का० सुजीत सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर